

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सत्य नारायण-I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 201/2024
दायर दिनांक :- 25.09.2024


जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/231
निर्णय दिनांक :- 17.12.2025

1. जोधाराम पुत्र हरदास जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. तेजाराम पुत्र हरदास जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
3. कोयली पत्नी हरदास जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रार्थीगण

बनाम

1. करनाराम पुत्र बलवंताराम जाति विश्नोई निवासी नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
2. बाबूराम पुत्र बलवंताराम जाति विश्नोई निवासी नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
3. सुजानराम पुत्र बलवंताराम जाति विश्नोई निवासी नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
4. सहीराम पुत्र बलवंताराम जाति विश्नोई निवासी नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
5. मांगीलाल पुत्र सगताराम जाति विश्नोई निवासी नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
6. राजूराम पुत्र सगताराम जाति विश्नोई निवासी नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
7. बचनाराम पुत्र पांचाराम जाति विश्नोई निवासी नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
8. ठाकरराम पुत्र पांचाराम जाति विश्नोई निवासी नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
9. पपूराम पुत्र पांचाराम जाति विश्नोई निवासी नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
10. गुमानाराम पुत्र पांचाराम जाति विश्नोई निवासी नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
11. अर्जुनराम पुत्र खींयाराम जाति विश्नोई निवासी नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
12. लाडूराम पुत्र खींयाराम जाति विश्नोई निवासी नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
13. केशुराम पुत्र रामूराम जाति विश्नोई निवासी नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
14. बीरबलराम पुत्र रामूराम जाति विश्नोई निवासी नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
15. सुखराम पुत्र रामूराम जाति विश्नोई निवासी नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
16. भागीरथराम पुत्र भरमलराम जाति विश्नोई निवासी नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
17. मोहनराम पुत्र भरमलराम जाति विश्नोई निवासी नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
18. किसनाराम पुत्र रुघनाथराम जाति विश्नोई निवासी नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
19. गंगाराम पुत्र लूम्बाराम जाति विश्नोई निवासी नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
20. बंशीलाल पुत्र उदाराम जाति विश्नोई निवासी नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
21. अणदाराम पुत्र उदाराम जाति विश्नोई निवासी नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
22. भौतानाराम पुत्र उदाराम जाति विश्नोई निवासी नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
23. हनुमान पुत्र बगताराम जाति विश्नोई निवासी नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
24. ओमप्रकाश पुत्र बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी



Sathy
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

57. जयकिशन पुत्र घीसीदेवी पत्नी भैराराम जाति विश्नोई निवासी तिलवासनी तहसील बाप जिला फलोदी
58. महेश पुत्र घीसीदेवी पत्नी भैराराम जाति विश्नोई निवासी तिलवासनी तहसील बाप जिला फलोदी
59. श्रवण पुत्र घीसीदेवी पत्नी भैराराम जाति विश्नोई निवासी तिलवासनी तहसील बाप जिला फलोदी
60. हनुमानराम पुत्र घीसीदेवी पत्नी भैराराम जाति विश्नोई निवासी तिलवासनी तहसील बाप जिला फलोदी
61. सोनीदेवी पुत्री घीसीदेवी पत्नी भैराराम जाति विश्नोई निवासी तिलवासनी तहसील बाप जिला फलोदी
62. ओमप्रकाश पुत्र बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
63. जगमालराम पुत्र खमुराम जाति विश्नोई निवासी नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
64. सहीराम पुत्र लाखाराम जाति विश्नोई निवासी नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
65. हरिकिसन पुत्र पुरखाराम जाति विश्नोई निवासी नेंवा तहसील बाप जिला फलोदी
66. अबुराम पुत्र भूराराम जाति मेगवाल निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
67. मांगीलाल पुत्र चान्दाराम जाति मेगवाल निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
68. रोशनी पत्नी हापूराम जाति मेगवाल निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
69. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण



राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

- उपस्थित :-1. श्री करणी सिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 की सह खातेदारी अधिकारों कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 107 रकबा 37.5548 हैक्टेयर ग्राम नेंवा पटवार हल्का कानासर तहसील बाप की सरहद में स्थित है। जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 एवं नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के खसरा संख्या 107 रकबा 37.5548 हैक्टेयर है। इसके चारों ओर अप्रार्थीगण संख्या 7 ता 69 की भूमि है। खसरा संख्या 105/5 रकबा 2.0315 हैक्टेयर अप्रार्थीगण संख्या 7, खसरा संख्या 105/6 रकबा 2.0315 हैक्टेयर अप्रार्थीगण संख्या 8, खसरा संख्या 105/8 रकबा 2.0135 हैक्टेयर अप्रार्थीगण संख्या 9, खसरा संख्या 105/7 रकबा 2.03156 हैक्टेयर अप्रार्थीगण संख्या 10, खसरा

Satyam
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

संख्या 90/1 रकबा 23.8926 हैक्टेयर अप्रार्थीगण संख्या 11 ता 17, खसरा संख्या 99 रकबा 6.3536 हैक्टेयर अप्रार्थीगण संख्या 18, खसरा संख्या 106 रकबा 56.2107 हैक्टेयर अप्रार्थीगण संख्या 19 ता 37 व अप्रार्थीगण संख्या 69, खसरा संख्या 98/1 रकबा 6.4831 हैक्टेयर अप्रार्थीगण संख्या 38 ता 42, खसरा संख्या 96/1 रकबा 12.1567 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 43, खसरा संख्या 96 रकबा 12.1567 हैक्टेयर अप्रार्थीगण संख्या 44 ता 51, खसरा संख्या 112 रकबा 20.1371 हैक्टेयर अप्रार्थीगण संख्या 52 ता 61, खसरा संख्या 108 रकबा 31.9054 हैक्टेयर अप्रार्थीगण संख्या 62 ता 67, खसरा संख्या 108/4 रकबा 4.8562 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 68 के खातेदारी अधिकारों की भूमि है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त खातेदारी की भूमि की भूमि पैमाईश करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब बाप के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया और तहसीलदार साहब (भू.अ.) बाप ने क्रमांक 164 दिनांक 20.06.2023 को उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश पटवारी हल्का को दिये। पटवारी हल्का उक्त आदेश की पालना में दिनांक 28.06.2023 को रूबरू मौतबिरान एवं पड़ोसियों के पैमाईश करवाकर मौके पर सीमा ज्ञान करवाने के बाद भूमि के चारों तरफ की सीमा पर सीमा चिन्ह कायम किये गये। प्रार्थीगण ने अपनी खसरा संख्या 107 भूमि की सीमा पर माफिक सीमा चिन्ह बांड तारबन्दी करने लगा तो अप्रार्थीगण संख्या 7 ता 68 ने मना किया एवं झगड़ा करने पर उतारू हो गये तथा सीमा चिन्ह कायम करने में व्यवधान पैदा किया। प्रार्थीगण की पैमाईश करवाई कास्त भूमि के चारों तरफ बाड़ तारबन्दी नहीं होने की वजह से प्रार्थी की फसल में पशु नुकसान करते हैं, प्रार्थी को बेवजह हैरान व परेशान होना पड़ रहा है। प्रार्थीगण पड़ोसियों से सोहार्दपूर्ण संबंध बनाकर बिना किसी लड़ाई झगड़ा खेत की पत्थरगढी करवाकर बाड़ तारबन्दी करवाना चाहता है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।



प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगोदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 69 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 69 पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि खसरा नम्बर 107 रकबा 37.5548 हैक्टेयर सरहद मौजा नेंवा पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 28.06.2023 के अनुसार प्रार्थीगण की हद में प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण को सूचित करते हुवे पत्थरगढी किया जाना उचित है। अप्रार्थी संख्या 35 की और से अधिवक्ता नारायणसिंह भाटी ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 34 तथा 36 ता 68 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 107 रकबा 37.5548 हैक्टेयर सरहद मौजा नेंवा पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबन्दी नहीं

उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 28.06.2023 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 35 में जवाब प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि खसरा नम्बर 107 रकबा 37.5548 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश व पत्थरगढी करने का आदेश दिया जाता है तो धारा 110,111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत अप्रार्थी संख्या 35 की भूमि खसरा नम्बर 106 रकबा 56.2107 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश व पत्थरगढी की जावे।

अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द, पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 107 रकबा 37.5548 हैक्टेयर सरहद मौजा नेंवा पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। अप्रार्थी संख्या 35 ने भी अपने जवाब में बताया कि अप्रार्थी संख्या 35 की भूमि खसरा नम्बर 106 रकबा 56.2107 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश एवं पत्थरगढी की जावे। इसलिए प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 35 अपनी खातेदारी भूमि की पुनः पैमाईश करवाकर पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि खसरा नम्बर 107 रकबा 37.5548 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 106 रकबा 56.2107 हैक्टेयर सरहद मौजा नेंवा पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी भूमि की पुनः पैमाईश कर पैमाईश अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे पत्थर गढी किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते हैं। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। प्रार्थीगण का उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश कब्जा सुपूर्दगी हेतु मान्य नहीं है। निर्णय आज दिनांक 17.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफतर हो।



Satya
 (सत्य नारायण - I, R.A.S.)
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 बाप (फलोदी)
 उपखण्ड अधिकारी
 बाप (फलोदी)